

देश के IAS-IPS अधिकारियों की संपत्ति आई सामने

इतने IAS-IPS नें छुपाई अपनी जानकारी

BY - SUNIL VERMA SIR

Jansatta

संपत्ति घोषित, लेकिन जानकारी अधूरी: जानिए IAS-IPS अफसर अपनी प्रॉपर्टी फाइलिंग में क्या छोड़ देते हैं | EXCLUSIVE



हर एक नौकरशाह को हर साल 31 जनवरी तक अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की अचल...

6 hours ago

Navbharat Live

कानूनी शिकंजे में आईएएस-आईपीएस दंपति, ACB ने जांच शुरू की; आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन



Corruption News: आईएएस शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है।

1 day ago

News18 Hindi

IAS शिखर अग्रवाल के बाद IPS पत्नी प्रशाखा माथुर की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें



IAS Shikhar Agrawal Case : राजस्थान में आईएएस शिखर अग्रवाल और आईपीएस प्रशाखा माथुर...

2 days ago

1. आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या

संसद में दी गई सरकारी रिपोर्टों और सिविल लिस्ट के आंकड़ों के अनुसार देश में इनकी **स्वीकृत और कार्यरत संख्या**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS):

- **स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength):** लगभग **6,877** पद
- **कार्यरत अधिकारी (In-position):** लगभग **5,500** से **5,577** अधिकारी (बाकी पद रिक्त/खाली हैं)।



भारतीय पुलिस सेवा (IPS):

- **स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength):** लगभग **5,099** पद
- **कार्यरत अधिकारी (In-position):** लगभग **4,500** से **4,600** अधिकारी (बाकी पद रिक्त हैं)।



2. अधिकारियों की औसत आय और वेतन ढांचा (Salary Structure)

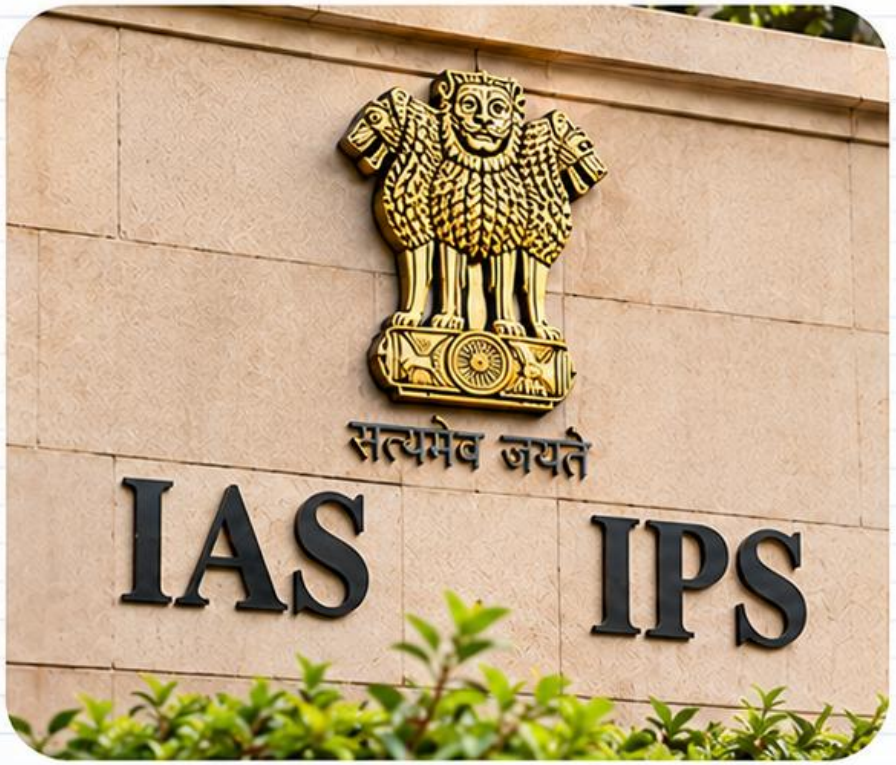
IAS और IPS अधिकारियों का वेतन **7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)** के पे-मैट्रिक्स के अनुसार तय होता है। इनकी आय सेवा के वर्षों और रैंकं के हिसाब से बढ़ती है:

शुरूआती वेतन (Entry Level - SDM / ASP):



- **बेसिक पे: ₹56,100** प्रति माह
 (पे लेवल-10)

- **कुल अनुमानित आय (Gross Salary):**
 महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ते मिलाकर शुरूआती सकल वेतन लगभग **₹1,10,000** से **₹1,25,000** प्रति माह होता हैं।



मध्य स्तर का वेतन (DM / SP / सचिव स्तर):



- जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है (जैसे 9 से 15 साल की सेवा के बाद जिला कलेक्टर या एसपी बनने पर), बेसिक पे बढ़कर **₹78,800** से **₹1,44,200** (पे लेवल 12 से 14) तक हो जाता है। भत्ते मिलाकर यह राशि **₹1.5 लाख** से **₹2.5 लाख** प्रति माह तक पहुंच जाती हैं।



शीर्ष पद का वेतन (Chief Secretary / DGP / Cabinet Secretary):



- सबसे वरिष्ठ पदों (पे लेवल 17 और 18) पर बेसिक सैलरी निश्चित होती है—मुख्य सचिव या केंद्र सरकार के सचिव के लिए **₹2,25,000** और देश के कैबिनेट सचिव के लिए **₹2,50,000** प्रति माह (फिक्सड बेसिक पे) होती है।



3. क्या इनकी औसत आय को लेकर कोई आधिकारिक या विशेष रिसर्च हुई है?

वेतन आयोग और लोक सेवा अध्ययन:



- भारत में सिविल सेवकों के वेतन, भत्तों और जीवन स्तर पर सीधे तौर पर कोई निजी अकादमिक 'आय-शोध' (Income Research) नहीं किया जाता, क्योंकि इनका पूरा वेतन ढांचा सरकारी रूप से पारदर्शी और सार्बजनिक होता है। इसके लिए हर 10 साल पर वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन किया जाता है, जो देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवनयापन के खर्चों का गहन अध्ययन करके इनकी सैलरी तय करता है।

भत्तों और सुविधाओं का मूल्य:



- अर्थशास्त्रियों और प्रशासनिक विश्लेषकों (Public Administration Analysts) के कई शोध यह बताते हैं कि आईएएस/आईपीएस अधिकारियों का 'आकर्षण' केवल उनके मूल वेतन (Basic Salary) पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकारी आवास (बड़े बंगले), सुरक्षा, मुफ्त वाहन, नौकर-चाकर, मेडिकल सुविधाएं (CGHS) और पोस्ट-रिटायरमेंट पेंशन/भत्ते जैसे नॉन-कैश पर्क्स (Perks) को जोड़ दिया जाए, तो उनकी वास्तविक आर्थिक क्षतिपूर्ति (Total Compensation Package) कॉर्पोरेट सेक्टर के कई बड़े अधिकारियों के बराबर या उससे बेहतर आंकी जाती है।

देश के शीर्ष नौकरशाहों (**IAS-IPS** और अन्य सचिव स्तर के अधिकारियों) द्वारा हर साल की जाने वाली संपत्ति की घोषणा का सिस्टम कितना कमजोर और ढीला है, इसका खुलासा **'द इंडियन एक्सप्रेस'** की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से हुआ हैं।



नियम के मुताबिक, हर नौकरशाह को हर साल **31 जनवरी** तक अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है और इसे **31 मार्च** तक सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है।



भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से यह नियम **साल 2011** से लागू किया गया था। हालांकि, हालिया समीक्षा ने इस पूरी प्रक्रिया की पोल खोल दी हैं।



रिपोर्ट की मुख्य बातें और आंकड़े

अधिकारियों का दायरा:

- इस श्रेणी में सचिव स्तर के कुल **131** शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से **102** अधिकारियों की संपत्ति घोषणाएं ही अखबार की पहुंच में आ सकीं। ये जानकारियां **31 मार्च 2026** को आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक की गई थीं।



क्षेत्रफल और कीमत गायब:

- इन **102** अधिकारियों द्वारा घोषित कुल **244** संपत्तियों में से **115** संपत्तियों के क्षेत्रफल (माप) और **115** संपत्तियों की मौजूदा कीमत **(Present Value)** का कोई जिक्र नहीं किया गया है।



जीरो प्रॉपर्टी वाले अधिकारी:

- इन **102** अधिकारियों में से **10** ने दावा किया है कि उनके पास अपनी खरीदी हुई कोई भी अचल संपत्ति नहीं हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर कैडर के एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, जो **2011** से लगातार अपनी संपत्ति को **'शून्य' (Nil)** बताते आ रहे हैं। बाकी **9** अधिकारियों ने पहले कुछ संपत्तियों का ब्यौरा दिया था, लेकिन ताजा फाइलिंग में उनका जिक्र नहीं हैं।



किस तरह की संपत्तियां शामिल:

- समीक्षा की गई **244** संपत्तियों में **219** आवासीय, **3** व्यावसायिक और **22** कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं।







किन विभागों के अधिकारी शामिल?

अधिकारियों का दायरा:

- समीक्षा किए गए इन **102** अधिकारियों में केंद्र सरकार के विभागों के **95** सचिव शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ **(PMO)**, नीति आयोग, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस और **28** राज्यों व **8** केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी शामिल हैं।



पदों का दायरा:

- इनमें **131** सचिवों/मुख्य सचिवों के अलावा **9** वैज्ञानिक, **5** भारतीय विदेश सेवा **(IFS)** के अधिकारी, **3** भारतीय पुलिस सेवा **(IPS)** के अधिकारी, इंडियन लीगल सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस के **1-1** अधिकारी शामिल हैं। बाकी सभी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा **(IAS)** से हैं, जो ज्यादातर **1989** से **1998** बैच के हैं।



नियमों की पेचीदगियां और सिस्टम की खामोशी

वर्तमान मूल्य का कॉलम खाली:

- इंडियन एक्सप्रेस ने केवल स्व-अर्जित (खुद खरीदी गई) संपत्तियों का आकलन किया है, इसमें पैतृक (Ancestral) संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। 244 में से केवल 129 संपत्तियों के लिए ही वर्तमान मूल्य वाला कॉलम भरा गया। बाकी मामलों में अधिकारियों ने "पता नहीं", "मूल्य तय नहीं", "सर्कल रेट के अनुसार", "मूल्यांकन नहीं हुआ" या "आकलन नहीं हुआ" जैसी बातें लिख दीं।



- "पता नहीं"
- "मूल्य तय नहीं"
- "सर्कल रेट के अनुसार"
- "मूल्यांकन नहीं हुआ"
- "आकलन नहीं हुआ"

कानूनी पेच और नियमों का इंतजार

कानूनी पेच और नियमों का इंतजार:

- लोकपाल अधिनियम की धारा **44** के तहत सभी लोक सेवकों को अपनी चल-अचल संपत्तियां घोषित करना अनिवार्य किया गया था (जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सांसद और मंत्री करते हैं)। दिसंबर **2016** में इस प्रावधान में संशोधन कर कहा गया कि इसके लिए नए नियम उचित समय पर अधिसूचित किए जाएंगे, **लेकिन उन नियमों का इंतजार आज भी बना हुआ है।**



सरकार की तरफ से चुप्पी:

- **'द इंडियन एक्सप्रेस'** द्वारा कैबिनेट सचिवालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग **(DoPT)** को ईमेल भेजकर पूछा गया था कि क्या घोषणा-पत्रों की कोई जांच होती है? जिन अधिकारियों ने **2025** में पूरी जानकारी नहीं दी, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? और लोकपाल अधिनियम के तहत वादा किए गए नए नियमों का क्या हुआ? **हालांकि, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।**



1. क्या यह नियम सभी IAS और IPS के लिए है या सिर्फ सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए?

नियम सभी के लिए अनिवार्य है:

- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 [All India Services (Conduct) Rules] के **नियम 16(2)** के तहत देश के प्रत्येक **आईएएस (IAS)** और **आईपीएस (IPS)** अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर साल अपनी और अपने परिवार की **अचल संपत्ति (Immovable Property Return - IPR)** का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें।



रिपोर्ट का दायरा:

- इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट में केवल सचिव या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों का विश्लेषण इसलिए किया गया क्योंकि बे नौकरशाही के शीर्ष पदों पर हैं, लेकिन यह **कानून सेवा के सबसे शुरूआती स्तर के अधिकारी से लेकर शीर्ष सचिव तक सभी पर समान रूप से लागू होता हैं।**



2. सभी अधिकारी सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे या कॉलम क्यों छोड़ रहे हैं?

कानून होने के बावजूद कई अधिकारी विवरण छिपाने या अधूरा छोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

सख्त ऑडिट तंत्र का अभाव:

- सरकार या संबंधित मंत्रालयों (जैसे DoPT) की तरफ से ऑनलाइन भरी जाने वाली हर एक संपत्ति की गहराई से जांच या ऑडिट करने के लिए कोई स्वचालित (Automated) या मफबूत तंत्र मौजद नहीं है। अधिकारी जानते हैं कि यदि वे 'पता नहीं' या 'मूल्यांकन नहीं हुआ' लिख देंगे, तो आमतौर पर तुरंत कोई पेनल्टी या सवाल नहीं पूछा जाएगा।



पारदर्शिता से बचना:

- कई अधिकारी अपनी बेहिसाब या आय से अधिक संपत्तियों (Disproportionate Assets) के वास्तविक बाजार मूल्य को जनता और सरकार की नजरों से छिपाना चाहते हैं। यदि वे सही मार्केट बैल्यू लिख देंगे, तो उनकी संपत्ति और आय में बड़ा अंतर साफ दिखने लगेगा।



दंडात्मक कार्रवाई का डर न होना:

- समय पर फॉर्म न भरने या कॉलम खाली छोड़ने पर विभाग की तरफ से अक्सर केवल हल्की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, जिससे अधिकरियों में नियमों का डर कम हो जाता है।



Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

Stay Connected



